

the said Act, as is in excess of the amount calculated at the rate as specified in corresponding entry in column (4) of the aforesaid Table, namely:-

TABLE

Sl. No.	Chapter, Heading, Sub-heading or Tariff item	Description of Goods	Rate
(1)	(2)	(3)	(4)
1	30	Tocilizumab	Nil
2	30	Amphotericin B	Nil
3	30	Remdesivir	2.5%
4	30	Heparin(anti-coagulant)	2.5%
5	30	Itolizumab	2.5%
6	30	Posaconazole,	2.5%
7	30	Infliximab	2.5%
8	30	Bamlanivimab & Etesevimab	2.5%
9	30	Casirivimab & Imdevimab	2.5%
10	30	2-Deoxy-D-Glucose	2.5%
11	30	Favipiravir	2.5%

2. This notification shall come into force from the 1st day of October, 2021 and remain in force up to and inclusive of the 31st December, 2021.

[F. No. 190354/206/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2021

सं. 46/2021-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 708(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप-धारा (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 785(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड. (i) में प्रकाशित किया गया था, में, एतद्वारा, और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) सारणी में, क्रम संख्या 607 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“607.	9804	निम्नलिखित वस्तुएं, जो कि निजी उपयोग के लिए आयातित की गईं हो, यथा:-			

	(क) जीवनरक्षक औषधियां या दवाएं (जिसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट्स किट्स भी आते हैं), जो कि सूची 4 में विनिर्दिष्ट हों;	शून्य	-	-
	(ख) जीवनरक्षक अन्य औषधियां या दवाएं,	शून्य	-	16
	(ग) जीवनरक्षक दवाएं जिनका उपयोग स्पाइनल मसक्कुलर एट्रोफी या डचेन मसक्कुलर डिस्ट्रोफी के उपचार में होता हो, यथा: - (i) ज़ोलगेन्स्मा (ओनासेमनोजीन अबेपारवोवेक) (ii) विल्टेप्सो (विल्टोलरसेन) (iii) अन्य औषधियां जिनका उपयोग उक्त बीमारियों के उपचार में होता हो।	शून्य	शून्य	16”;

(ख) अनुबंध में, शर्त संख्या 16 के स्थान पर निम्नलिखित शर्त को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“16.	<p>यदि,-</p> <p>(क) ऐसे माल का आयात किसी व्यक्ति द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए किया जाता हो;</p> <p>(ख) यथा लागू और नीचे विनिर्दिष्ट फार्म में महानिदेशक या उप महानिदेशक या सहायक महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, नई दिल्ली, निदेशक, राज्य सरकार की स्वास्थ्य सेवाएं या जिला चिकित्सा अधिकारी/जिले के सिविल सर्जन, प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में, यह प्रमाणित करें</p> <p>(1) उक्त सारणी के क्रम संख्या 607 के उपवाक्य (ग) के उप उपवाक्य (iii) के दायरे में आने वाले स्पाइनल मसक्कुलर एट्रोफी या डचेन मसक्कुलर डिस्ट्रोफी के उपचार में प्रयोग की जाने वाली दवाओं से संबंधित फार्म</p> <p>.....(वर्ष) का प्रमाणपत्र संख्या.....</p> <p>प्रमाणित किया जाता है कि..... (रोगी का नाम) के उपचार में प्रयोग की जाने वाली दवा(दवा का नाम) एक जीवनरक्षक दवा है और इसका प्रयोग विशेष रूप से स्पाइनल मसक्कुलर एट्रोफी या डचेन मसक्कुलर एट्रोफी के उपचार में किया जाता है और इस पर सीमाशुल्क तथा एकीकृत जीएसटी के भुगतान से छूट दिए जाने की सिफारिश की जाती है।</p> <p style="text-align: right;">महानिदेशक/ उप महानिदेशक/ सहायक महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, नई दिल्ली, या निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं या जिला चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन की मुहर तथा तारीख</p> <p>या</p> <p>(2) उन जीवनरक्षक औषधियों या दवाओं से संबंधित फार्म जो कि ऊपर (1) के दायरे में नहीं आती हैं और जिनका आयात उक्त सारणी के क्रम संख्या 607 के उपवाक्य (ख) के अंतर्गत किया जा रहा हो।</p>
------	--

	<p>.....(वर्ष) का प्रमाणपत्र संख्या.....</p> <p>प्रमाणित किया जाता है कि..... (रोगी का नाम) के उपचार में प्रयोग की जाने वाली औषधि/दवा(औषधि/दवा का नाम) एक जीवनरक्षक औषधि/दवा है जिसका प्रयोग (रोग का नाम) के उपचार में किया जाता है और इस पर सीमाशुल्क के भुगतान से छूट दिए जाने की सिफारिश की जाती है।</p> <p style="text-align: right;">महानिदेशक/ उप महानिदेशक/ सहायक महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, नई दिल्ली, या निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं या जिला चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन की मुहर तथा तारीख</p> <p>और</p> <p>(ग) आयातकर्ता उक्त प्रमाणपत्र को क्लीयरेंस के समय उप आयुक्त, सीमाशुल्क या सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो के समक्ष प्रस्तुत करता हो या इस बात की अंडरटेकिंग, जैसा कि उप आयुक्त या सहायक आयुक्त को स्वीकार्य हो, देता हो कि वह ऐसी अवधि के भीतर जिसे उक्त उप आयुक्त या सहायक आयुक्त विनिर्दिष्ट करे, उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर देगा और ऐसा न हो पाने पर वह लगाए गए शुल्क का भुगतान कर देगा।</p>
--	---

(ii) शर्त संख्या 102 के अंदर, मद (iv) के पश्चात, निम्नलिखित परन्तुक और स्पष्टीकरण को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

‘बशर्ते कि ऊपर (iii) में दी गई शर्त के अनुसार माल का भारत से बाहर पुनःनिर्यात किए जाने के बजाय इसे पट्टाकर्ता भारत में ही किसी दूसरे पट्टाधारक को केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 की अनुसूची II के मद 1(ख) और 5(च) के दायरे में आने वाले किसी संव्यवहार के अंतर्गत पट्टे पर दे सकता है और इस मामले में, --

(क) मूल पट्टाधारी आयुक्त, सीमाशुल्क को इसकी जानकारी देगा और अपने बान्ड को डिस्चार्ज करा लेगा;

(ख) इस प्रकार नया पट्टाधारी ऐसे फार्म में और राशि का, जिसे आयुक्त, सीमाशुल्क विनिर्दिष्ट करे, बान्ड भरकर एतश्मिन उल्लिखित शर्तों के अनुसार स्वयं को इस प्रकार बंध करेगा जैसे कि वह ऐसे माल का आयात करता ही हो।

बशर्ते और भी कि यदि माल की आपूर्ति किसी एस.ई.जेड. यूनिट के द्वारा डी.टी.ए. को केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 की अनुसूची II के मद 1(ख) या 5(च) के दायरे में आने वाले किसी संव्यवहार के अंतर्गत करता हो और जहां ऐसी एस.ई.जेड. इकाई केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 के अंतर्गत ऐसे संव्यवहार के लिए एकीकृत कर का भुगतान करने के लिए दायी हो तो ऐसा पट्टाधारी केवल उपर्युक्त (ii), (iii) और (iv) की शर्तों के प्रति ही अपने को बंधक रखेगा।

स्पष्टीकरण.- यदि किसी एस.ई.जेड. इकाई (पट्टाकर्ता) के द्वारा डी.टी.ए. को माल की आपूर्ति केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 की अनुसूची II के मद 1(ख) या 5(च) के दायरे में आने वाले संव्यवहार के अंतर्गत किया जाता हो तो-

(क) “आयुक्त, सीमाशुल्क” या “सीमाशुल्क आयुक्त, आयात पत्तन” से अभिप्राय ऐसे “विशिष्ट अधिकारी” से होगा जो कि विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के अंतर्गत परिभाषित हो;

(ख) मद (iii) में उल्लिखित “पुनःनिर्यात” का अभिप्राय माल का पट्टाकर्त्ता को वापस करने से है।

2. यह अधिसूचना 1 अक्टूबर, 2021 से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/206/2021-टीआरयू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 को सा.का.नि. 785(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 44/2021-सीमा शुल्क, दिनांक 17 सितम्बर, 2021, जिसे सा.का.नि. 640 (अ), दिनांक 17 सितम्बर, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2021

No. 46/2021-Customs

G.S.R. 708(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and sub-section (12) of section 3 of Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(a) in the TABLE, for S. No. 607 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“607.	9804	The following goods, imported for personal use, namely: - (a) the life saving drugs or medicines (including diagnostic test kits) specified in List 4; (b) other life saving drugs or medicines, (c) life saving medicines for treatment of Spinal Muscular Atrophy or Duchenne Muscular Dystrophy, namely- (i) Zolgensma (Onasemnogene Abeparvovec) (ii) Viltepso (Viltolarsen) (iii) any other medicine for treatment of the said diseases	Nil Nil Nil	- - Nil	- 16 16”;

(b) In the Annexure, -

(i) for Condition No. 16, the following condition shall be substituted, namely: -

“16.	<p>If, -</p> <p>(a) the goods are imported by an individual for personal use;</p> <p>(b) it is certified in the Form as applicable and specified below, by the Director General or Deputy Director General or Assistant Director General, Health Services, New Delhi, Director of Health Services of the State Government or the District Medical Officer/Civil Surgeon of the district, in each individual case</p> <p>(1) Form for medicines used for treatment of Spinal Muscular Atrophy/ Duchenne Muscular Atrophy covered under sub-clause(iii) of clause (c) of S. No.607 of the Table.</p> <p>Certificate No..... of (year)</p> <p>Certified that the medicine.....(name of the medicine) to be used for the treatment of(patient name), is a life saving medicine used specifically for Spinal Muscular Atrophy / Duchenne Muscular Atrophy and exemption from the payment of customs duty and Integrated GST is recommended.</p> <p style="text-align: right;">Signature with date of Director General / Deputy Director General / Assistant Director General, Health Services, New Delhi or Director of Health Services or District Medical Officer/Civil Surgeon.</p> <p>or</p> <p>(2) Form for life saving drugs or medicines, not covered under (1) above, being imported under clause (b) of S. No. 607 of the Table.</p> <p>Certificate No..... of (year)</p> <p>Certified that the drug / medicine.....(name of the drug / medicine) to be used for the treatment of(patient name), is a life saving drug / medicine for.....(disease name) and exemption from the payment of customs duty is recommended.</p> <p style="text-align: right;">Signature with date of Director General / Deputy Director General / Assistant Director General, Health Services, New Delhi or Director of Health Services or District Medical Officer/Civil Surgeon.</p> <p>and</p> <p>(c) the importer produces the said certificate to the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, at the time of clearance, or gives an undertaking as acceptable to the Deputy Commissioner or the Assistant Commissioner to furnish the said certificate within such period as may be specified by the Deputy Commissioner or the Assistant Commissioner, failing which to pay duty leviable thereon.</p>
------	--

(ii) in Condition No. 102, after item (iv), the following provisos and Explanation shall be inserted, namely: -
 ‘Provided that goods may, instead of being re-exported out of India in terms of condition at (iii) above, be given on lease under a transaction covered by item 1(b) or 5 (f) of Schedule II of the Central Goods and Service Tax Act 2017, by lessor to another lessee in India, in which case, -

- (a) the original lessee shall give an intimation to the commissioner of customs and get his bond discharged;
 (b) the new lessee shall, by execution of bond, in such form and for such sum, as may be specified by the Commissioner of Customs, bind himself to comply with the conditions herein, as if he were the importer of the goods.

Provided further that in case of goods supplied by an SEZ unit to DTA under a transaction covered by item 1(b) or 5(f) of Schedule II of the Central Goods and Services Tax Act, 2017, where SEZ unit is liable to pay integrated tax on such transaction under the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017, the lessee shall bind himself only with conditions (ii), (iii) and (iv) above.

Explanation. - In case of goods supplied by an SEZ unit (lessor) to DTA under a transaction covered by item 1(b) or 5(f) of Schedule II of the Central Goods and Services Act, 2017, -

(a) the “Commissioner of Customs” or the “Commissioner of Customs of the port of importation”, wherever they appear, shall mean “the Specified Officer” as defined in Special Economic Zone Rules, 2006;

(b) “Re-export” in item (iii) shall mean returning the goods to the lessor.’

2. This notification shall come into force on the 1st day of October, 2021.

[F. No. 190354/206/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: The principal notification No.50/2017-Customs, dated the 30th day of June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 785(E), dated the 30th day of June, 2017, and last amended vide notification No. 44/2021-Customs, dated the 17th day of September, 2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 640(E)., dated the 17th day of September, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2021

सं. 47/2021-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 709(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है), की धारा 3 की उप-धारा (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाओं में उक्त सारणी के कॉलम (3) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमा तक संशोधन करती है; यथा: -

क्र.सं.	अधिसूचना का नाम तथा तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1	अधिसूचना संख्या 90/2009-सीमाशुल्क, दिनांक 7 सितम्बर, 2009 [सा.का.नि. 644 (अ), दिनांक 7 सितम्बर, 2009]	उक्त अधिसूचना में, - (i) शब्द, अंक और कोष्ठक “सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1)”, के पश्चात, शब्द अंक और कोष्ठक, “और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप-धारा (12)” को अंतःस्थापित किया जाएगा;